

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./भर्ती 2018/20943/उदयपुर/2024/ दिनांक:-

--आदेश--

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436, 437 दिनांक 28.04.2020, 675 दिनांक 05.08.2020, 392, 393 दिनांक 01.03.2021 एवं 1114, 1115 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18 /25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सीमा रेगर	चित्तौड़गढ़	06.07.1993	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022
2.	लीला दाधिच	चित्तौड़गढ़	01.01.1979	07.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक को निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नगद परिलाभ देय होंगे। उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./भर्ती 2018/20943/उदयपुर/2024/125 दिनांक:-03-06-2024
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चित्तौड़गढ़।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
7624491



निदेशक (अराजपत्रित)
Signature valid

Digitally signed by राकेश कुमार शर्मा
Sharma
Designation : निदेशक
Date: 2024.06.03 19:58:39 IST
Reason: Approved